न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)
पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रार्थना–पत्र नम्बरः– 11/2018
अनवान : –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रार्थी**

बनाम्

1. हरदत पुत्र जैसाराम जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर।
2. लालचन्द पुत्र जैसाराम जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर।
3. सतीश पुत्र लालचन्द जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर।

– **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति :– 1. **राजपेरोकार**
2. श्री रामकुमार बैनीवाल बैनीवाल

निर्णय दिनांकः 03/06/2024

तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 11 केएनएन तहसील नोहर में 52 बीघा कृषि भूमि में 5–6 हरे पेड़ शीशम, नीम व करीबन 48 वृक्ष खेजड़ी के एकराय होकर दिनांक 27.10.2018 को जेसीबी मशीन लगाकर काट लिये है तथा मौके पर हरे वृक्षों की लकड़िया व टहनिया वही पर पड़ी है जिसकी जांच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी आवश्यक है तथा सरकारी रास्ते से भी 5–6 पेड़ काट लिये है उक्त प्रकार की पटवारी हल्का से जांच करवायी जाकर मुलजिमों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करे एवं काटी गई लकड़ियों को बरामद किया जावे। पेड़ बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति काटने बाबत शिकायत प्राप्त हुई है।

प्रार्थना पत्र की जांच व आवश्यक कार्यवाही हेतु पटवार हल्का/भूअनि को लिखा गया आदेश दिनांक 29.10.2018 की पालना में चक 11 केएनएन पटवारी हल्का रतनुपरा द्वारा मु0न0 11 की मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसमें खेजड़ी के 7 हरे वृक्ष व मु0न0 12 में शिशम के 6, खेजड़ी के 32, नीम के 2 हरे वृक्ष व मु0न0 16 में खेजड़ी के 7, नीम के 2, बेरी 1, मु0न0 17 मे शिशम के 4, बेरी का 1 छोटा पेड़, कुल 53 वृक्ष काटे गये है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने बिना राजस्व अनुमति के हरे वृक्षों एवं राज्य वृक्ष खेजड़ी को काटा है तथा इनके द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 86 की अवहेलना की गई है अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स0 2 की तरफ से अधिवक्ता श्री रामकुमार बैनीवाल जवाब नही देना चाहते है बहस सुनी जावे का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने बिना राजस्व अनुमति के हरे वृक्षों एवं राज्य वृक्ष खेजड़ी को काटा है तथा इनके द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 86 की अवहेलना की गई है अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की अप्रार्थीगण द्वारा कोई पेड़ नही काटा गया है सिर्फ भूमि सुधार के लिए कंटिली झाड़ीया काटी गई है तथा भूमि सुधार हेतु पेड़ों की छंगाई की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 मेहनती व किसान पेशा व्यक्ति है जिसने किसी प्रकार का पेड़ नही काटा है सिर्फ भूमि सुधार के लिए पेड़ो की छंगाई व झाड़िया काटी है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र के तथ्यों, पत्रावली एवं दस्तावेजों एवं पटवार हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 ता 3 द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के रोही मौजा ग्राम 11 केएनएन के मु0न0 11 मे खेजड़ी के 7 हरे वृक्ष व मु0न0 12 में शिशम के 6, खेजड़ी के 32, नीम के 2 हरे वृक्ष व मु0न0 16 में खेजड़ी के 7, नीम के 2, बेरी 1, मु0न0 17 मे शिशम के 4, बेरी का 1 छोटा पेड़, कुल 53 वृक्ष काटे गये है। बिना स्वीकृति के हरे पेड़ काटना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 84 के उल्लंघन कारित करने पर अप्रार्थी स0 1 ता 3 को 100/– (अखरे एक सौ रूपये मात्र) प्रति पेड़ के हिसाब से शास्ति धारा 86 आरटीए के अन्तर्गत अध्यारोपित की जाती है। अप्रार्थी स0 1 ता 3 द्वारा उक्त 53 पेड़ों की राशि 5300/– (अखरे पांच हजार तीन सौ रूपयें मात्र) राजकोष में जमा करवावें एवं उक्त पेड़ों की एवज में दुगुने पेड़ अर्थात 106 पेड़ खेजड़ी/शीशम के लगाने हेतु पाबन्द किया जाता है एवं तहसीलदार नोहर को पाबन्द किया जाता है कि बगैर अनुमति से काटे गये पेड़ों की जब्तशुदा लकड़ी की नियमानुसार निलामी करवाई जाकर राशि राजकोष में जमा करवाई जावें व उक्त समस्त कार्यवाही 10 दिवस में सम्पन्न की जाकर मय रसीद आपके द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करवाया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पृथक से पालनार्थ भिजवायी जावें। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज दिनांक 03/06/24 ....को मेरे द्वारा द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:47 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर